

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (गुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 1(26)एमई/गुप-1/2019

जयपुर, दिनांक : 5/7/21

आदेश

डॉ. गुलझारी लाल मीणा, वरिष्ठ आचार्य, रेडियोडायग्नोसिस का आदेश दिनांक 03.03.2020 द्वारा प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक के पद पर किया गया चयन उनके विरुद्ध सीसीए नियम-16 के तहत विभागीय जांच प्रस्तावित होने के फलस्वरूप विभागीय परिपत्र दिनांक 20.11.2020 के प्रावधानों के तहत चयन समिति की अनुशंसा पर डॉ. मीणा का प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक के पद पर किया गया चयन एतद्वारा तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से,
5/7/21
(सुनील शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
4. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राज. जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राज. जयपुर।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग राज. जयपुर।
8. कुलपति, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
9. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
10. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, कोटा/बीकानेर/उदयपुर/अजमेर/जयपुर/जोधपुर।
11. ए.सी.पी चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. संबंधित चिकित्सक शिक्षक।
13. रक्षित पत्रावली।

(अशोक कुमार सोनी)
शासन उप सचिव